बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 18 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 26.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.00 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन के माध्यम से बढ़ते अपराध एवं केन्द्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन का सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-85, 158, 159, 160, 161, 162 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 166, 167 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 163, 164, 165 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 158 पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी स्थिति स्पष्ट की और आश्वासन दिया कि अगर आवेदन नहीं आए हैं तो आवेदन लेकर मुआवजा दिलाया जाएगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 159 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य फिलहाल पूर्णिया और धमदाहा की बात कर रहे हैं, इसको माननीय मंत्री देख लेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 160 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, इसको दिखवा लीजिए कि सड़क बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है या अपने आप टूट गई है। माननीय सदस्य, सरकार ने इसका संज्ञान लिया और टूटी सड़क को बनवा देगी।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 405 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 398, 404 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 386 व्यपगत हुआ।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या– 387 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है और जो आवश्यक कार्रवाई है, वह हो रही है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया में है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 389 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि आप लिखकर दे दीजिए, जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर सरकार कार्रवाई करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 393 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, माननीय मंत्री, देख लीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 396 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, फिर जांच करवा लेंगे, माननीय मंत्री जी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 401 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, विलंब को समाप्त किया जाए और जितनी जल्दी हो, उनका भुगतान किया जाए।

3. औपचारिक कार्य

1. सचिव द्वारा बिहार विधान सभा की वित्तीय समितियों में परिषद् के सहकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने से संबंधित विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पढ़ा गया।

   माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि बिहार विधान परिषद् की वित्तीय समितियों में परिषद् के माननीय सदस्यों को सहकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने हेतु माननीय सभापति महोदय को प्राधिकृत किया जाए, इसका अनुमोदन माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने किया, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

2. माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि संसद् या राज्य विधान मंडल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के सदस्यों का किसी सार्वजनिक निकाय, बोर्ड, विश्वविद्यालयों आदि में प्रतिनिधि के रूप में मनोनयन एवं परिषद् की समितियों में मनोनयन हेतु माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् को प्राधिकृत किया जाए।

   माननीय सदस्य, डा. रामवचन ने इसका अनुमोदन किया, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

4. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के आलोक में अधिसूचित बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं

कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय की रुझान पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 की बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप अलग से लिखकर ध्यानाकर्षण के रूप में दे दीजिए, हम ध्यानाकर्षण स्वीकृत करेंगे। आपको जवाब मिल जाएगा।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा विकास योजनाओं की राशि निजी बैंकों में जमा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को चापाकल के अधिस्थापन हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत ने वक्तव्य दिया एवं माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने भी स्थिति को स्पष्ट किया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, दिखवा लेंगे कि आगे से कोई असुविधा न हो।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मदरसा, जकरिया सिराजुल मुसलमीन, कोरिया पट्टी पो०-देवीपुर, भाया-गनपतगंज, प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल को जानेवाली सड़क को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसका उत्तर 28.3.2018 को होगा।

4. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता द्वारा खगड़िया नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या-14 एवं 15 में चित्रगुप्त नगर मोहल्ला के 'गौशाला पोखर के पूर्वी भिंड स्थित पक्की सड़क से कोशी कॉलेज के उत्तरी चहारदीवारी तक' पथ की मरम्मती के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा-नूरसराय पथ के चौड़ीकरण एवं पथ में पड़ने वाले पुलों के चौड़ीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नन्द किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आप लिखकर दे दीजिए।

6. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा मोकामा टाल क्षेत्र में मसूर खरीद हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर माननीय मंत्री, डा. प्रेम कुमार ने सूचित किया कि यह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को स्थानान्तरित किया गया है। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि चलते सत्र में 28.3.2018 को इसका उत्तर होगा।

7. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत जिला सैनिक कार्यालय, इ.सी.एच.एस. पोलि क्लिनिक एवं सी.एस.डी. कैंटीन की स्थापना हेतु भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, डा० रामवचन राय द्वारा गाँधी मैदान के मूल प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रखने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि गांधी मैदान की सुरक्षा का सरकार ध्यान रखे।

(अंतराल)

9. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बुद्ध मूर्ति, पटना के आसपास के स्थान को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

7. वित्तीय बर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(पशु एवं मत्स्य संसाधन, वित्त, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री शिव प्रसन्न यादव
2. श्री रामचन्द्र भारती
3. डा. दिलीप कुमार चौधरी
4. श्री कृष्ण कुमार सिंह
5. श्री सुबोध कुमार
6. श्री सतीश कुमार
7. श्री राधाचाण साह
8. डा. रामवचन राय

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग (माननीय मंत्री ने शेष भाषण सदन पटल पर रखा।)

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया।)

2. श्री प्रमोद कुमार, माननीय मंत्री (माननीय मंत्री ने शेष भाषण सदन पटल पर रखा।)

3. श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, माननीय मंत्री (माननीय मंत्री ने शेष भाषण सदन पटल पर रखा।)

8. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह
2. डा. संजीव कुमार सिंह
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री सोनेलाल मेहता
5. प्रो. नवल किशोर यादव
6. श्री राजेश राम एवं श्री सुबोध कुमार
7. श्री सुमन कुमार
8. श्री सतीश कुमार

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 27.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

26/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 565 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 26.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
26-3-2018

(प्रमोद कुमार)
बरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।